भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4350

19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

पीएमडीडीकेवाई के अंतर्गत योजनाओं का विलय

4350. डॉ. अमर सिंह:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएमडीडीकेवाई के अंतर्गत 30 योजनाओं का विलय किए जाने के क्या कारण हैं और विलय की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2025-2026 में शामिल किए जाने वाले 100 जिलों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ग) अगले छह वर्षों के दौरान पीएमडीडीकेवाई के लिए आवंटित 24,000 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय का वर्ष-वार विवरण क्या है; और

(घ) अगले छह वर्षों में पीएमडीडीकेवाई के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि का प्रत्याशित प्रतिशत क्या है और घरेलू उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई,2025 को 100 जिलों को कवर करने हेतु प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का कार्यान्वयन 11 विभागों की मौजूदा 36 केंद्रीय योजनाओं के अभिसरण, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय साझेदारी के माध्यम से किया जाएगा।

पीएमडीडीकेवाई के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले 100 जिलों का चयन तीन प्रमुख संकेतकों कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम ऋण वितरण पर आधारित होगा।

पीएमडीडीकेवाई का कार्यान्वयन राज्यों के साथ साझेदारी के माध्यम से मौजूदा 36 योजनाओं के अभिसरण, राज्य पहलों और निजी क्षेत्र की भागीदारी में किया जाएगा। पीएमडीडीकेवाई के लिए कोई अलग बजट प्रावधान नहीं किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरांत भंडारण क्षमता को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। कार्यान्वयन अवधि के दौरान, प्रत्येक धन-धान्य जिले में, योजना की प्रगति की निगरानी नियमित आधार पर एक डैशबोर्ड के माध्यम से प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर की जाएगी।

*****